प्रेस विज्ञप्ति

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल से के पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 20–07–2023 के अनुक्रम में जिले की समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो/ संचालको को सूचित किया जाता है, NIC पोर्टल 2.0 के अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021–22 नवीनीकरण के विद्यार्थियो द्वारा छात्रवृत्ति फार्म पोर्टल बंद हो जाने अथवा अपरिहार्य कारणो से NIC पोर्टल 2.0 पर आवेदन करने से वंचित रह गए, ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने वर्ष 2021–22 के लिये पोर्टल पर आवेदन नही कर पाये थे, ऐसे उन विद्यार्थियो को पोर्टल शैक्षणिक सत्र 2021–22 के नवीनीकरण हेतु पुनः खोला गया है अतः पात्र विधार्थियो से संस्था संचालक दिनांक 22 जुलाई 2023 के पूर्व आवेदन कराये जो कि अंतिम तिथि निर्धारित की गई, इसके उपरान्त पोर्टल खोला जाना संवंभ नहीं होगा।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सागर

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)

क्र0 /पीएमएस/आ0वि0/2023–24/962 सागर दिनांक 20/7/2023

प्रति,

उपसंचालक
सूचना एवं प्रकाशन
जिला–सागर

विषय– संलग्न प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन करने बावत्।

उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन जिले के समस्त समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सागर

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
35-राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेल: cscd.bhopal@mp.gov.in / jd.scdhobpl@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 20/07/2023

क्रमांक/शिक्षा-1/2023-24/ 2857

प्रति,

समस्त सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक
अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

विषय:- अनुसूचित जाति/ जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के नवीनीकरण आवेदन हेतु NIC पोर्टल 2.0 खोलने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत **शैक्षणिक वर्ष 2021-22 आवेदन हेतु NIC पोर्टल 2.0 दिनांक 06/07/2023 से 15 दिवस हेतु दिनांक 22/07/2023 रात्री 12.00 तक खोला गया है** । किन्तु आज दिनांक तक लगभग 900 आवेदन ही विद्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए हैं । अभी भी लगभग 600 विद्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज आवेदनों लॉक हेतु लंबित हैं।

अतः आपके जिले में संचालित समस्त संस्थाओ एवं संस्थाओं के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों को अवगत कराने का कष्ट करे कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने वर्ष 2021-22 के नवीनीकरण आवेदन लॉक/ आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के संबंधमें NIC पोर्टल 2.0 पर भी सूचना प्रदर्शित है। निर्धारित तिथि के उपरांत यदि कोई छात्र आवेदन करने से वंचित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था एवं छात्र की होगी । पुनः **निर्धारित तिथि उपरांत पोर्टल खोला जाना संभव नहीं होगा ।**

SC/ST
21/7/2023

उप संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/07/23

पृ. क्रमांक/शिक्षा-1/2023-24/ 2858

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, सर्वसंबंधित विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप संचालक 20/7
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश